

फर्द अहकाम

(नियम-26)



अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण
उगमसिंह


बनाम

अप्रार्थीगण
राजूसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह
मुकदमा नं. 113/2017

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
26.12.17	<p>यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है।</p> <p>वकुलाय प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व शपथपत्र के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थी सं. 01 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि मौजा किशनपुरा के खेत ख.नं. 120 रकबा 111.15 बीघा भूमि में से प्रार्थीगण के हिस्से तक की भूमि का वैचान व हस्तान्तरण नहीं करे व रहन नही रखे तथा राजस्व रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29.1.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलक्टर (पु. व. धा.) जायल (नागौर)</p> <p>पत्रकार/पक्षवाचन दे अतिवक्ता 29.1.18</p> <p>प्राथीगण के पक्ष में प्रमाण प्रकृत उन्हे प्रस्तुत करें। 18/5/18</p>	
9.4.18	<p>पत्रावली वक्त वाड के साथ राजपेशीपल्ली जारी पञ्जनाशन के वक्त वाड में राजीनामा हो जाया है। पत्रावली वक्त वाड के साथ दिनांक 16.4.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	

16.4.18

वृत्तिय उपर। मूस वाड का निर्णय
किना जा चुका है इसलिए जफना पत्र
को चलाने का उद्देश्य नहीं है। शक्ति
जफना पत्र को निर्णय हुआ किना
जाकर इफतल हाविल हो 

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर